



NEERAJ®

प्रशासनिक विचारक

(Administrative Thinkers)

B.P.A.C.- 132

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on
C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Prieti Gupta & Sanjay Jain



NEERAJ
PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

प्रशासनिक विचारक **(Administrative Thinkers)**

Question Paper—June-2024 (Solved)	1
Question Paper—December-2023 (Solved)	1
Question Paper—June-2023 (Solved)	1
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved)	1
Sample Question Paper—1 (Solved)	1

S.No.	<i>Chapterwise Reference Book</i>	Page
1.	कौटिल्य (Kautilya)	1
2.	महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi)	11
3.	वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson)	18
4.	फ्रेडरिक डब्ल्यू. टेलर (Frederick W. Taylor)	25
5.	हेनरी फेयोल (Henri Fayol)	37
6.	मैक्स वेबर (Max Weber)	44
7.	मेरी पार्कर फोलेट (Mary Parker Follett)	56
8.	एल्टन मेयो (Elton Mayo)	63

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
9.	चेस्टर बरनार्ड (Chester Barnard)	74
10.	हर्बर्ट ए. साइमन (Herbert A. Simon)	83
11.	अब्राहम मॉस्लो (Abraham Maslow)	95
12.	रैंसिस लिकर्ट (Rensis Likert)	102
13.	फ्रेडरिक हर्जबर्ग (Frederick Herzberg)	114
14.	क्रिस आर्गिरिस (Chris Argyris)	123
15.	ड्वाइट वाल्डो (Dwight Waldo)	131
16.	पीटर ड्रुकर (Peter Drucker)	142
17.	येहजकेल ड्रोर (Yehezkel Dror)	152

■ ■

**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

प्रशासनिक विचारक
(Administrative Thinkers)

B.P.A.C.-132

समय : 3 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 100

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के दीजिए। प्रत्येक भाग से दो प्रश्न अवश्य चुनिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-क

प्रश्न 1. 'स्वराज' पर गांधीजी के विचार का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-2, पृष्ठ-11, 'स्वराज पर गांधी के विचार'

प्रश्न 2. लोक प्रशासन पर बुड़ो विल्सन के विचारों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-3, पृष्ठ-19, 'लोक प्रशासन पर बुड़ो विल्सन के विचार'

प्रश्न 3. मैरी पार्कर फॉलेट द्वारा प्रस्तुत किए गए रचनात्मक संघर्ष तथा उसे हल करने के तरीकों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-7, पृष्ठ-58, प्रश्न 1

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) हेनरी फेयोल के मौलिक विचार

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-5, पृष्ठ-37, 'फेयोल के मौलिक विचार'

(ख) औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-9, पृष्ठ-74, 'औपचारिक और अनौपचारिक संगठन'

भाग-ख

प्रश्न 5. रेसिस लिकर्ट द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन की शैलियों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-12, पृष्ठ-103, 'प्रबंधन की शैलियाँ', पृष्ठ-113, प्रश्न 3

प्रश्न 6. फ्रेडरिक हर्जबर्ग के दो-कारक सिद्धांत की चर्चा कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-13, पृष्ठ-115, 'हर्जबर्ग का दो-कारक सिद्धांत'

प्रश्न 7. नीति-निर्माण के आदर्शतम इष्टतम मॉडल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-17, पृष्ठ-157, प्रश्न 7

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) वैकल्पिक संगठनात्मक संरचनाएँ

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-14, पृष्ठ-124, 'वैकल्पिक संगठनात्मक संरचनाएँ'

(ख) पीटर ड्रकर का प्रबंधन सिद्धांत

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-16, पृष्ठ-149, प्रश्न 4



QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

प्रशासनिक विचारक
(Administrative Thinkers)

B.P.A.C.-132

समय : 3 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 100

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के दीजिए। प्रत्येक भाग से दो प्रश्न अवश्य चुनिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. अर्थशास्त्र में वर्णित केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक उपकरण (या व्यवस्था) के संगठन तथा संरचना की व्याख्या कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-1, पृष्ठ-6, प्रश्न 2

प्रश्न 2. हेनरी फेयोल द्वारा निर्दिष्ट संगठन के सिद्धांतों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-5, पृष्ठ-38, 'संगठन के सिद्धांत'

प्रश्न 3. एल्टन मेयो के प्रयोगों की चर्चा कीजिए तथा उनके परिणामों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-8, पृष्ठ-65, प्रश्न 1, पृष्ठ-64, 'हॉथोर्न अध्ययन : परिणाम'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) विल्सन युग में महत्वपूर्ण घटनाएँ

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-3, पृष्ठ-18, 'विल्सन युग में महत्वपूर्ण घटनाएँ'

(ख) वेबर की नौकरशाही के बदलते परिप्रेक्ष्य

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-6, पृष्ठ-47, 'वेबर की नौकरशाही के बदलते परिप्रेक्ष्य'

भाग-II

प्रश्न 5. हर्बर्ट ए. साइमन के कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-10, पृष्ठ-90, प्रश्न 6

प्रश्न 6. मॉस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत की चर्चा कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-11, पृष्ठ-97, प्रश्न 1

प्रश्न 7. क्रिस आरगारिस के सिद्धांतों के औचित्य का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-14, पृष्ठ-124, 'क्रिस आरगारिस के सिद्धांतों का औचित्य'

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) डिवाइट वाल्डो के नेतृत्व में नव लोक प्रशासन

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-15, पृष्ठ-132, 'वाल्डो के नेतृत्व में नवीन लोक प्रशासन'

(ख) आधुनिक प्रबंधन की अवधारणा

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-16, पृष्ठ-143, 'आधुनिक प्रबंधन की अवधारणा'

■ ■

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

प्रशासनिक विचारक (Administrative Thinkers)

कौटिल्य
(Kautilya)



परिचय

‘अर्थशास्त्र’ कौटिल्य (चाणक्य) द्वारा लगभग चौथी शती ईसा पूर्व में रचित संस्कृत का एक ग्रन्थ है। इसमें राज्यव्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। राज्य-प्रबन्धन कौशल के सिद्धांत पर आधारित यह प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रन्थों में से एक है। कौटिल्य द्वारा विकसित इस शास्त्र का अनुसरण अशोक और शिवाजी जैसे अनेक शासकों ने किया। प्रशासन के संबंध में इस शास्त्र के सिद्धांत आज भी प्रासारित और उपयोगी हैं। इस इकाई में कौटिल्य के आधारभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और समकालीन संदर्भ में उनकी प्राप्तिगतिका की समीक्षा की जाएगी।

अध्याय का विहंगावलोकन

कौटिल्य और अर्थशास्त्र : एक परिचय

चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबन्धन, लोक प्रशासन आदि पर आधारित अपनी कृतियों से अनेक विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ‘अर्थशास्त्र’ नामक पुस्तक में एक ऐसी शासन-पद्धति का विधान किया गया है, जिसमें राजा या शासक प्रजा का कल्याण सम्पादन करने के लिए शासन करता है। इस अर्थशास्त्र में एक ऐसी शासन-पद्धति का विधान किया गया है, जिसमें राजा या शासक प्रजा का कल्याण एवं उनकी रक्षा करने के अतिरिक्त युद्ध में विजय द्वारा क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने के लिए शासन करता है, जिससे शासक या राजा शक्तिशाली हो। कौटिल्य की कृति ‘अर्थशास्त्र’ की मौलिकता के संबंध में समय और स्रोत को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ‘अर्थशास्त्र’ कौटिल्य की ही रचना है, जबकि कुछ मानते हैं कि उन्होंने पुस्तक को केवल संकलित किया था, परन्तु इस इकाई का मुख्य उद्देश्य

अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी लेने से है। ‘अर्थशास्त्र’ में लगभग 6000 सूत्र हैं, जिन्हें 15 पुस्तकों, 150 अध्यायों और 180 भागों में विभाजित किया गया है। ‘अर्थशास्त्र’ पुस्तक संख्या 2 का भाग है, जबकि पुस्तक संख्या 1 शासन और प्रबंधन के मूल सिद्धांतों पर है। पुस्तक संख्या 4 और 5 कानून पर और पुस्तक संख्या 6, 7 और 8 विदेश नीति पर आधारित हैं। पुस्तक संख्या 9 से लेकर 14 तक में रक्षा, युद्ध और संघर्ष पर विचार प्रस्तुत किये गए हैं। पुस्तक संख्या 15 ग्रन्थ के लेखन में प्रयोग किए गए प्रणाली विज्ञान और उपायों के बारे में हैं।

लोक प्रशासन के सिद्धांत

क्लासिकी विचारकों ने भी लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर अपना मत रखा है। अतः कौटिल्य द्वारा दिए गए सिद्धांतों को समझने के लिए लूथर गुलिक (Luther Gulick) और एल. उविक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की भी सहायता ली जायगी।

कार्य का विभाजन (Division of Work)—कौटिल्य के अनुसार कार्य को विवेकपूर्ण और लाभदायक तरीके से पूर्ण करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को उनकी विशेषता और ज्ञान के अनुरूप भूमिकाएं सौंपनी चाहिए। कौटिल्य ने कार्य को 34 विभागों में बांटा और प्रत्येक विभाग के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति का समर्थन किया। अर्थशास्त्र में प्रशासनिक ढाँचे का स्वरूप पदानुक्रमिक है और संगठनीय पिरामिड (Pyramid) के शिखर पर राजा था, जो समस्त सत्ता का केंद्रबिंदु है। वह अधीनस्थ स्तरों पर आसीन अधिकारियों की सहायता से सत्ता का सचालन करता था, जिन्हें ‘महामात्य’, ‘अमात्य’, ‘अध्यक्ष’ आदि के नाम से जाना जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और पदों के लिए उपयुक्तता के आधार पर होती थी।

निर्देशों में एकता (Unity of Command)—केवल राजा को किसी भी विभाग या पद पर कार्यरत अधीनस्थों को निर्देश देने की शक्ति थी। हालांकि यह स्पष्ट भाषा में नहीं लिखा है कि राजा के निर्देश की सूचना प्रत्यक्ष थी अथवा किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से सूचना का संचार होता था।

2 / NEERAJ : प्रशासनिक विचारक

केन्द्रीकरण (Centralisation)—प्रशासन का संगठनकारी सिद्धांत केन्द्रीकरण पर आधारित था, लोकिन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रांतों में और प्रांतीय प्रशासन का विभाजन जिला, ग्राम तथा नगर पालिका प्रशासन में किया गया। प्रांतीय प्रशासन का अध्यक्ष प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जबकि स्थानिक स्थानीय (जिले) की अध्यक्षता करता था। नागरिक नगर प्रशासन की देखभाल अनेक गोपों की सहायता से करता था तथा गोप ग्रामीण प्रशासन की देखें-रेखे करता था। कौटिल्य के अनुसार एक स्थिर व्यवस्था, सामाजिक कल्याण और भौतिक समृद्धि के लिए सत्ता का केन्द्रीकरण अनिवार्य था। राजा अपने अधिकारियों के माध्यम से निचले स्तरों की जानकारी प्राप्त करता था तथा नीति निर्माण में उनसे परामर्श करता था।

सत्ता तथा उत्तरदायित्व (Authority and Accountability)—राज्य की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु राजा है, अतः वही अपनी प्रजा की प्रगति और खुशहाली के लिए उत्तरदायी भी है। इसका अर्थ यह भी है कि राजा को अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। लोकसेवक को कानून तथा राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। कौटिल्य ने प्रजा तथा अधिकारियों दोनों के द्वारा किए गए अपराधों के लिए अनेक प्रकार के दण्ड निर्धारित किए। कौटिल्य ने प्रशासनिक भूमिका प्रबंधन के संदर्भ में कानूनी, सदाचारी और नैतिक आयामों को बहुत महत्व दिया। उसके अनुसार लोकसेवक का मूल्यांकन व्यवसायिक आचरण और नीति-शास्त्र के वृष्टिकोण से भी करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए न्यायोचित प्रक्रिया का प्रयोग किया।

कौटिल्य का मानना था कि राजा को राज्य के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और कुशलता से कर सकें। अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने के लिए राजा के पास गुप्तचरों और हितप्रहरियों की एक सजग प्रणाली निर्धारित होनी चाहिए। राजा द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन के लिए दण्ड निर्धारित होना चाहिए, जो न्यायसंगत, उचित और किये गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करें। केवल एक न्यायी राजा ही पूरे विश्व पर विजय प्राप्त सकता था। यदि राजा अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता है, तो प्रजा को राजा से सवाल करने का अधिकार था। अतः राजा से लेकर प्रशासन में उच्चतर से निम्नतर स्तर के लोकसेवकों को अपनी आवंटित भूमिकाओं का नैतिकतापूर्ण पालन करना आवश्यक था अन्यथा वे दंड के पात्र बन सकते थे।

व्यक्ति की तुलना में संगठनात्मक हितों की अग्रता (Precedence of Organisational Interests Over Individuals)—फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में एक मुख्य सिद्धांत यह है कि संगठन सरैव निजी हितों से ऊपर होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के हितों को अन्य सभी हितों से ऊपर रखना चाहिए। अतः राज्य के कर्मचारियों को सरैव अपने निजी हितों को

पीछे रखते हुए राजा तथा राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी निभानी चाहिए।

अनुशासन (Discipline)—‘अर्थशास्त्र’ के अनुसार अनुशासन किसी भी संगठन की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त है। राजा द्वारा बनाए गए नियमों और उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। इस विषय में कोई भी लापरवाही लोकसेवकों को दण्ड का पात्र बनाती है।

समन्वय (Coordination)—समन्वय से तात्पर्य सभी विभागों और समूहों में परस्पर सामंजस्य से है, जिससे राज्य का शासन सुचारू रूप से चले। इसके लिए राजा के अतिरिक्त अन्य मुख्य अधिकारियों को भी समन्वयकारी की भूमिका निभानी चाहिए।

निर्देशन (Direction)—प्रशासनिक प्रबंधन में निर्देशन अत्यंत महत्वपूर्ण और वहु-कृत्यक अवधारणा है, जिसमें नेतृत्व, प्रेरणा, निरीक्षण और संचार जैसे तत्त्व सम्मिलित हैं। सरकार के निर्विघ्न संचालन के लिए राजा को निर्देशन व नेतृत्व की कला में पारंगत होना चाहिए।

नेतृत्व (Leadership)—इसके अंतर्गत कौटिल्य ने एक अच्छे नेता के गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है। उसके अनुसार वही राजा एक अच्छा नेता बनता है, जो अपनी प्रजा और राज्य के हितों को निजी हितों से अधिक प्राथमिकता दे।

निरीक्षण/सर्वेक्षण और नियंत्रण (Supervision and Control)—कौटिल्य ने एक संगठन में सर्वेक्षण और नियंत्रण के महत्व को स्वीकारा है।

मूल्य आधारित प्रशासन (Value and based Administration)—कौटिल्य ने सदैव नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रबंधन और प्रशासन की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। अतः उनके अनुसार, संगठन के राजा को सच्चा, ज्ञानी, सदाचारी व न्यायी होना चाहिए।

प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन और संरचना

कौटिल्य द्वारा रचित ‘अर्थशास्त्र’ में सरकार तीन स्तरों पर संगठित थी—केन्द्र, प्रदेश और स्थानीय।

राजा की संस्था (Institution of the King)—सरकार का गठन एक पिरामिड के रूप में था, जिसके सर्वोच्च शिखर पर राजा का स्थान था और राज्य की सारी शक्तियों (विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) पर राजा का अधिकार था। प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में राजा का निर्णय अंतिम एवं मान्य था, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राजा को मनमानी करने का अधिकार था। राजा के लिए दण्ड का प्रावधान था। यदि राजा का आचरण न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नहीं होगा, तो उसे जन-आक्रोश व विद्रोह की स्थिति का भी सामना कर पड़ सकता था।

राजा के लिए अपने निर्देशों का पालन करवाने के लिए राजकीय आज्ञाओं में संचार तत्त्व की स्पष्टता अनिवार्य थी। प्रभावशाली एवं सफलतापूर्वक शासन चलाने के लिए राजा को लोभ, दंभ, क्रोध, कामुकता, घमंड जैसी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य था। राजा के लिए समय सारणी निश्चित थी, जिसके

अन्तर्गत सूचीगत कर्तव्यों का निर्वाह किया जाना था, जैसे—सलाहकारों से परामर्शी करना, रक्षा, राजस्व और व्यय पर सूचना प्राप्त करना, प्रजा की अर्जियों को सुनना, गुप्तचरों से गुप्त सूचना प्राप्त करना, निजी मनोरंजन और चिंतन करना आदि, किंतु राजा का सर्वोपरि क्रियात्मक कर्तव्य अपनी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करना तथा राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाना था। उच्च पदों पर आसीन सभी अधिकारी, जैसे—मुख्य पुजारी, महामात्य, सेनापति, अमात्य, अध्यक्ष आदि व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमता में राजा के प्रति उत्तरदायी थे। वे राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे।

संगठन/विभाग के आधार (Bases of Organisation Department)—अर्थशास्त्र के विभिन्न अध्याय विभागों के संगठन को समर्पित थे। विभागों का संगठन प्रजा, लक्ष्य और प्रक्रिया के आधार पर था, जो आधुनिक युग के संगठन के कुछ सिद्धांतों के समान हैं। कौटिल्य ने अपनी द्वितीय पुस्तक में विभागों का विस्तृत वर्णन किया है। इस पुस्तक में 34 अध्यक्षों का उल्लेख है, जो एक विभाग अथवा एक विभाग के अन्तर्गत एक इकाई की अध्यक्षता करता है, जैसे—वनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, आकारध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, खानाध्यक्ष आदि। इनके अतिरिक्त नपक, धारु और आभूषण, मालगोदाम, राज्य व्यापार, वन उत्पाद, भार तथा परिमाण, सीमा शुल्क और चुंगी, राजभूमि, मदिरा, मनोरंजन, बंदरगाह तथा पोताश्रय, घुडसवार फौज, हाथी निकाय, रथ निकाय, पैदल सेना, पारपत्र (पासपोर्ट), चारागाह, द्युतक्रीड़ा (जुआ), जेल और मंदिर के भी अध्यक्ष थे। कुछ विभाग वास्तव में एक विभाग के ही भाग थे। उदाहरण के लिए, राज्य व्यापार, निजी व्यापार, भार तथा परिमाण, सीमा शुल्क और चुंगी से संबंधित गतिविधियों को व्यापार विभाग का भाग माना जाता होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभागों का संगठन लगभग पदानुक्रमित व्यवस्था में किया गया था।

कौटिल्य की द्वितीय पुस्तक में कार्यकारी अध्यक्षों के कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक पदाधिकारी की योग्यताओं के लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं। इनके द्वारा सही प्रकार से नियमों और कानूनों का अनुपालन नहीं करने पर दिए जाने वाले दंडों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है।

कौटिल्य द्वारा प्रशासन के कोष और राजस्व विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि उनका मानना था कि राज्य और राजा की शक्ति का केंद्र राजकोष होता है। महा-कोषपाल (सम्निधात्) कोष का अध्यक्ष होता था और सहायता कोष का मुख्य अधीक्षक और मालगोदामों का मुख्य अधीक्षक उसके अधीनस्थ थे। इन अधिकारियों की योग्यताएं और कर्तव्यों के बारे में ‘अर्थशास्त्र’ की द्वितीय पुस्तक में विस्तृत वर्णन मिलता है। इन विभागों के अध्यक्षों का चयन उनके कार्यों का विभाजन अधिकारियों के ज्ञान और योग्यता के आधार पर किया जाता था। सामान्यतया कौटिल्य एक अधिकारी के एक ही पद पर स्थायी रूप से बने रहने के पक्ष में नहीं थे। संभवतया विभाग को आलस्य, नियमितता, प्रष्टाचार, अकुशलता और उदासीनता से बचाने के लिए उनका यह मत रहा होगा।

स्थानीय स्तर पर प्रशासन (Administration at the Local Level)—स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन छोटी इकाइयों में विभक्त था। नागरिक नामक प्रशासक नगरपालिका प्रशासन का अध्यक्ष था, जिसकी सहायता के लिए अनेक गोप थे। प्रत्येक नगर बार्ड या मुहल्लों में विभाजित था, जिनके प्रशासक गोप कहलाते थे। नागरिक के कार्यों में प्रजा और सम्पत्ति की सुरक्षा करना, नागरिक सेवाएं को उपलब्ध कराना, आवासों, सड़कों और यातायात को नियमित करना, नगर व्यापार का नियमन करना, मनोरंजन और वेश्यावृति के स्थलों का निरीक्षण आदि सम्मिलित था।

स्थानीय स्तर पर ग्रामीण प्रशासन को जिलों या गांव में विभक्त किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्थानिक नामक अधिकारी द्वारा की जाती थी। 5-10 ग्रामों के एक समूह के प्रशासन का संचालन गोप के नेतृत्व में होता था। कानून और व्यवस्था बनाये रखना तथा स्थानीय स्तर राजस्व की वसूली इनके मुख्य कार्यों में सम्मिलित था। ग्रामीण स्तर पर चार अन्य सेवकों—ग्रामकुटम, ग्रामस्वामी, ग्रामिक और ग्रामभृतक का भी उल्लेख मिलता है। ग्रामवृद्ध (गांव के बुजुर्ग) भी सीमा-विवादों के निपटारे में एवं खेतों से संबंधित विवादों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। ग्रामिक ग्राम का प्रधान होता था, जिसके मुख्य कार्य पशु चराई को नियमित करना, राज्य की सीमाओं का निर्माण करना, राजस्व की वसूली इत्यादि थे।

कार्मिक प्रशासन

राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योग्य लोकसेवकों की आवश्यकता होती है। राज्य भी सर्वजनिक रोजगार का मुख्य स्रोत था। राज्य की नीतियों में समाज व प्रदेश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था को बनाये रखना, नागरिकों की देखभाल करके कल्याणकारी राज्य की स्थपना करना महत्वपूर्ण था। कौटिल्य की पुस्तक संख्या 5 से यह स्पष्ट होता है कि वे कर्मचारियों के चयन के तरीकों पर ध्यान देने के साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को सुधारने के महत्व के प्रति सचेत हैं।

राजकीय सेवा से संबंधित रोजगार के लिए इच्छुक प्रत्याशी के लिए सबसे आवश्यक शर्त राजा और राज्य के प्रति कर्तव्यपरायणता और प्रतिबद्धता का बोध होना था। कौटिल्य ने राज्य द्वारा भर्ती किए जाने वाले आवेदक में तीन प्रकार की योग्यताओं पर बल दिया—सदाचार व नैतिक मूल्यों की उपस्थिति, तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता और राजा तथा राज्य के प्रति निष्ठावान होना। कौटिल्य ने काम, क्रोध, मद और लोभ को मापने के लिए अनेक परीक्षाएं निर्धारित कीं। उनका मानना था कि उच्च सदाचारी और नैतिक चरित्रवान अधिकारी ही राज्य और प्रजा की सुरक्षा का दायित्व भली-भांति निभा पाएगा।

भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण (Recruitment, Promotion and Transfer)—तत्कालीन समाज में न तो मुक्त भर्ती प्रणाली थी और न ही एक स्वतंत्र भर्ती अभिकरण (एजेंसी), बल्कि राजा की इच्छा का उच्चतर पदों के अधिकारियों के चयन के लिए महत्व था। ‘अर्थशास्त्र’ में भर्ती के स्रोत का कोई स्पष्ट

4 / NEERAJ : प्रशासनिक विचारक

उल्लेख नहीं है। अतः भर्ती एक प्रकार का बन्द मॉडल था। हालांकि विभिन्न कार्यालयक जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक योग्यताओं की सामान्य रूप से परिभाषा दी गई थी, जिसके आधार पर किसी प्रत्याशी का चयन होता था। अधिकारियों के अतिरिक्त राजा को भी राजपद पाने के लिए योग्यता की अनेक शर्तों को पूरा करना होता था। यही स्थिति राजकुमार, पुरोहित व अन्य उच्चतर तथा निम्नतर विभागों के अध्यक्षों की भी थी। किसी भी पद या कार्यालय में नियुक्त होने से पहले लोकसेवकों को अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, धर्मोपद्धति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशी को धर्मस्थीय और कटकशोधक नियुक्त किया जाता था, जबकि जो प्रत्याशी प्रलोभन से मुक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, उन्हें राजस्व और मालागोदाम के विभाग के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किया जाता होगा। कौटिल्य ने तकनीकी कौशल एवं ज्ञान के अतिरिक्त व्यावहारिक अनुभव को भी महत्व दिया। अमात्यों के चयन के लिए देश का नागरिक होना, कुलीन परिवार से संबंधित होना, विभिन्न कलाओं में निपुण होने के साथ-साथ उसमें दूरदर्शिता, निर्भीकता, विवेक, बुद्धि, प्रबल स्मरणशक्ति, चरित्र और वीरता जैसे गुण विद्यमान होने आवश्यक होते थे। अधिकारियों की पदोन्नति और स्थानांतरण राजा की इच्छा पर निर्भर करते थे।

तनखाव और वेतन (Pay and Salaries)—राजा के अधीनस्थ अधिकारियों को वेतन के रूप ने निश्चित राशि मिलती थी, जिसे राजा की इच्छा से बढ़ाया या घटाया जा सकता था। वेतन वृद्धि अवश्य ही अधिकारी द्वारा राज्य के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता या असफलता पर निर्भर करती होगी। ‘अर्थशास्त्र’ में दिए गए एक उल्लेख के अनुसार, वेतन क्रम में 48000 पण से लेकर न्यूनतम 60 पण तक का अंतर हो सकता था। महामात्य (प्रधानमंत्री), पुरोहित, सेनापति, युवराज, आचार्य, ऋत्विक, राजी और राजमाता को 48000 पण का वेतन मिलता था, जबकि दौवारिक, अनतर्वशिक, प्रशास्त्र, सम्मिधाता जैसे उच्च पदाधिकारियों को 24000 पण प्राप्त होते थे। वेतन-क्रम में 12वीं संख्या तक वृद्धि होती थी तथा निजी सहायकों को 60 पण का वेतन दिया जाता था। पद, पदबी, अनुभव, ज्ञान और योग्यता के आधार पर वेतन निर्धारित होता था। अन्य लोकसेवकों के कुल वेतन का निर्धारण निम्न सिद्धांतों पर आधारित था—

- ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों से होने वाली आय और उनके भुगतान करने की क्षमता।
- वेतन राज्य के राजस्व के एक-चौथाई भाग से अधिक नहीं होगा।
- वेतन कर्मचारियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
- राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित वेतन निर्धारित होना चाहिए।
- वेतन का भुगतान नगद या वस्तु के रूप में अथवा दोनों के रूप में किया जाता था, जो कोष में उपलब्ध नकद की पर्याप्तता पर निर्भर था।

सेवा-निवृति लाभ की प्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, किन्तु राजकर्मियों के परन्ते पर उनके आश्रितों की राज्य की ओर से देखभाल की जाती थी। अंत्येष्टि, जन्म या बीमारी जैसे अवसरों पर दिवंगत सरकारी कर्मी के परिवार को नकद भेंट दी जाती थी।

लोक सेवकों का प्रशिक्षण (Training of Civil Servants)—कौटिल्य ने पुस्तक संख्या 1 में ‘प्रशिक्षण’ शीर्षक के अन्तर्गत 500 सूत्र, 12 अध्याय और 18 भाग के माध्यम से सरकार के सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में सुझाप्प और विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उनके लिए प्रशिक्षण का महत्व बहुत अधिक था। उन्होंने केवल प्रशिक्षण योग्य व्यक्ति के प्रशिक्षण पर बल दिया अर्थात् प्रशिक्षण केवल ऐसे प्रत्याशियों को प्रदान करना चाहिए, जो सीखने की इच्छा रखते हों। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार प्रत्याशी में स्मरण, चिंतन, विवेकशीलता, असत्य व् गलत के लिए अस्वीकृति और सत्य के प्रति दृढ़संकल्पता के गुण भी होने चाहिए।

इससे यह प्रमाणित होता है कि कौटिल्य केवल सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के भी पक्षपात्र थे। उन्होंने प्रशिक्षण को एक संगठन में अनुशासन को प्रोत्साहित करने का एक उपयुक्त साधन माना। वर्तमान समय में भी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। अतः वर्तमान संदर्भ में भी कौटिल्य के प्रशिक्षण के सिद्धांत प्रासंगिक हैं। ‘अर्थशास्त्र’ में राजकुमार, राजा और अन्य उच्च अधिकारियों की तुलना में निम्नस्तरीय कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विशेष बल नहीं दिया।

वित्तीय प्रश्नासन
कौटिल्य पूर्णतः
इस बात से अवगत थे कि किसी भी राज्य के लिए उसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः उन्होंने करों की वसूली और राज्य के संसाधनों में वृद्धि जैसे विषयों के साथ-साथ कोष के प्रबंधन, बजट, कृषि कर, लेखा परीक्षा और लेखा पर भी विशेष ध्यान दिया है। राजा के लिए अपने राजकोष की जानकारी रखना बहुत आवश्यक था, क्योंकि राज्य की समस्त गतिविधियाँ उस पर निर्भर थीं। अतः संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे संसाधनों में वृद्धि करके राज्य की संपत्ति में वृद्धि करें, किन्तु इसके लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके अपनाना गलत था। प्रजा से केवल उचित और तर्कसंगत कर (taxes) ही वसूले जाने चाहिए।

कौटिल्य ने करदाताओं और कर के भुगतान से मुक्त लोगों की सूची प्रस्तुत की है। इस प्रकार ग्रामों का भी विभाजन करदाता और गैर-करदाता के रूप में किया गया। वर्तमान में भी ऐसे व्यक्ति और संस्थाएँ हैं, जो किसी प्रकार का कर नहीं देते। किसी योग्य अमात्य की नियुक्ति कोषाध्यक्ष के रूप में की जाती थी, जिसे सम्मिधातृ के नाम से जाना जाता था। दो अन्य अधिकारी कोष का प्रमुख अधीक्षक और गोदामों का प्रमुख अधीक्षक राजकोष का संरक्षण करते थे। राजा का कोष पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था और कोषाध्यक्ष उसके प्रति उत्तरदायी था। कौटिल्य ने उन तरीकों का भी